

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/174
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00160
CICOM/R/2018/00500

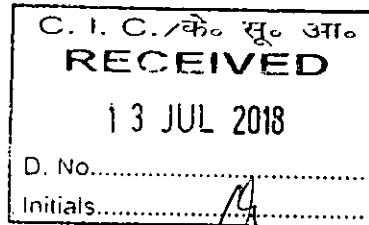
दिनांक: 12.07.2018

अपीलकर्ता : श्री सुरेश पंकज,
कार्यकारी निदेशक, ओसई,
हरिदासपुर बंगला, गोकुल पथ एक्सटेंशन,
उत्तरी पटेल नगर, पटना - 800024.

निर्णय की तारीख: 12.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	316/05.07.2018 (343/04.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 10.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. CIC/YA/C/2014/000629 एवं CIC/YA/A/2014/003275 से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00500 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



रिक्त
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

13/07/18